न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 02/2018

अनवान श्रवण कुमार बनाम जवरीलाल वगैराह

20.12.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री अशोक नागोरा द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते म्याद बाहर होने से निगरानी याचिका को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया, जिसका जवाब वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई रेस्पो0 सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने उक्त निगरानी के गुणावगुण पर सुनवाई से पूर्व उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर इसके निस्तारण का आग्रह किया गया। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह आग्रह किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी तत्का0 नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 23.12.2002 को रेस्पो0 सं0 1 व 2 के भाई रामलाल पुत्र परसराम के नाम 12X75=100 वर्गगज का दिनांक 21.1.03 को निष्पादित ''पंजीबद्ध सेलडीड पट्टा'' के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग 16 वर्षो के बाद दिनांक 15.10.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो कि म्याद बाहर है। राज0 हाईकोर्ट रूल्स 1952 के तहत यदि कोई अपील/रिविजन म्याद बाहर प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, विलंब के ठोस कारणों का उल्लेख कर प्रस्तुत करना पडता है, जबकि उक्त निगरानी के साथ विलंब को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया है। इसके अलावा उक्त स्ट्रीप लैण्ड आवंटन के संदर्भ में पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर में दर्ज प्रकरण संख्या 1339/2011 अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 के अनुसार मौके पर अन्य अतिक्रमण नगर निगम जोधपुर द्वारा हटा दिया गया है। उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित थे, अतः इसकी जानकारी इन्हें पूर्व से होने के बावजूद, मिथ्या आधारों पर उक्त निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

जवाब में प्रार्थी–अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 10.2.20 में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा यह

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

निगरानी समस्त मौहलावासियों की ओर से की गई है। जिसमें विवादित स्ट्रीप लैण्ड आवंटन के बाद मुख्य सड़क मार्ग की चौडाई बहुत कम रह जाने से आवागमन की समस्या हो रही थी। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का 2 वर्ष पश्चात, निगरानीकर्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने के बाद मामला लंबित रखने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि निगरानीकर्ता उक्त सेलडीड को निरस्त करवाने हेतु नगर निगम कार्यालय एवं अन्य न्यायालयों में परिवाद प्रस्तुत कर निरंतर प्रयासरत्त है। निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी के तहत पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उसे यह पता नही था कि उक्त सेलडीड मा0 न्यायालय के आदेशों से ही निरस्त हो सकती है, जिस दिन उसे यह ज्ञात हुआ उसी दिन निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार उक्त निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष करीब 16 वर्षो के बाद प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ विलंब को कण्डोन करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी प्रकट है कि प्रार्थी को इसकी जानकारी वर्ष 2011 में ही हो गई थी, क्योंकि उसने अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी का इस्तगासा वर्ष 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः उक्त निगरानी प्राथमिक तौर पर मियाद बिन्दु पर ही खारीज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रकरण में रेस्पो0 सं0 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 स्वीकार किया जाकर उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से तद्नुसार खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।

20/12/2022

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर